


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(987)/2017/
दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 716 दिनांक 30.06.2014 (क्र0सं0 7 पर अंकित) द्वारा श्रीमती सुनिता जाट, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालपुरा (टोंक) को स्वीकृत दिनांक 03.10.2013 से 02.10.2015 तक 2 वर्ष के अध्ययन अवकाश की निरन्तरता में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-


1. दिनांक 03.10.2015 से 30.01.2016 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 31.01.2016 से 02.10.2016 तक 246 दिवस का असाधारण अवकाश।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(987)/2017/866

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को उनके पत्रांक 1659 दिनांक 25.04.2017 के क्रम में।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मालपुरा (टोंक)।
3. प्रधानाचार्य, रेखा देवी मेमोरियल नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मालपुरा, टोंक।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर